रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268193
SG-DL-E-03122025-268193

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 357
No. 370] DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947 [N. C. T. D. No. 357

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 22/2024-राज्य कर

फा.सं. 3(36)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1154.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (तत्पश्चात् अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 148 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, आदेश के सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करते हैं, जिसका पालन पंजीकृत व्यक्तियों (तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति के रूप में संदर्भित) के वर्ग द्वारा किया जाएगा, जिनके खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अंतर्गत कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि की गई है, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (5) या उप–धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है, अर्थात्:–

2. उक्त व्यक्ति, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के सुधार के लिए एक आवेदन दायर करेगा, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करता है, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (5) या उप–धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है।

3. उक्त व्यक्ति को उक्त आवेदन के साथ इस अधिसूचना के अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र में जानकारी अपलोड करनी होगी ।

4. उक्त आदेश में सुधार करने के लिए उपयुक्त अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसने ऐसा आदेश जारी किया था, और उक्त प्राधिकारी उक्त आवेदन पर निर्णय लेगा तथा जहां तक संभव हो, उक्त आवेदन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर सुधारित आदेश जारी करेगा।

5. जहां परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट आदेश में कोई सुधार किया जाना अपेक्षित है और, उक्त प्राधिकारी ने उसका संशोधित आदेश जारी कर दिया है, तो उक्त प्राधिकारी सुधारित आदेश का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा –

(i) प्रपत्र जीएसटी डीआरसी–08 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत जारी आदेश में सुधार किया जाता है; और

(ii) प्रपत्र जीएसटी एपीएल–04 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अंतर्गत जारी आदेश में सुधार किया जाता है।

6. सुधार केवल ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की मांग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि उसे उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन में गलत तरीके से प्राप्त किया गया है, किन्तु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है।

7. जहां ऐसे सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसे सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

अनुलग्नक क

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 के अंतर्गत अधिसूचित आदेश के सुधार के लिए विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत आदेश के सुधार के लिए आवेदन के साथ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्रपत्र

1. आधारभूत विवरणः

(क) जीएसटीआईएनः
(ख) विधिक नामः
(ग) व्यापार का नाम, यदि कोई होः
(घ) वह आदेश जिसके संबंध में सुधार आवेदन दायर किया गया हैः
(1) आदेश संदर्भ संख्याः
(2) आदेश तिथिः

2. उक्त आदेश में पुष्टि किए गए मांग का विवरण :

(राशि रुपये में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	जुर्माना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

3. उपरोक्त क्रम संख्या 2 की तालिका में उल्लिखित राशि में से:

(क) धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्टि की गई मांग का विवरण, जो अब दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (उक्त अधिनियम) की धारा 16 की उपधारा (5) के अनुसार पात्र है:

(राशि रुपये में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	जुर्माना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	कुल							

और / या

(ख) धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्टि की गई मांग का विवरण, ऊपरोक्त (क) में उल्लिखित के अतिरिक्त, जो अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अनुसार पात्र है:

(राशि रुपये में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	जुर्माना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

4	**घोषणा:** 1. मैं वचन देता हूं कि उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 112 के अंतर्गत कोई अपील उस आदेश के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसके विरुद्ध यह सुधार आवेदन दायर किया गया है। 2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सटीक और सत्य है। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने पर यह आवेदन अमान्य हो जाएगा और बकाया राशि के लिए लागू ब्याज और जुर्माने सहित वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

5	सत्यापन: मैं ———————————— (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने पर मेरा आवेदन रद्द हो जाएगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम
मेल पता
मोबाइल नं0:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2025

No. 22/2024-State Tax

F.No. 3 (36)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1154.— In exercise of the powers conferred under the section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure for rectification of order, to be followed by the class of registered persons (hereinafter referred to as the said person), against whom any order under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act has been issued confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed, namely:–

2. The said person shall file, electronically on the common portal, within a period of six months from the date of issuance of this notification, an application for rectification of an order issued under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act, as the case may be, confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed.

3. The said person shall, along with the said application, upload the information in the proforma in

Annexure A of this notification.

4. The proper officer for carrying out rectification of the said order shall be the authority who had issued such order, and the said authority shall take a decision on the said application and issue the rectified order, as far as possible, within a period of three months from the date of the said application.

5. Where any rectification is required to be made in the order referred to in paragraph 1 and, the said authority has issued a rectified order thereof, then the said authority shall upload a summary of the rectified order electronically –

(i) in FORM GST DRC-08, in cases where rectification of an order issued under section 73 or section 74 of the said Act is made; and

(ii) in FORM GST APL-04, in cases where rectification of an order issued under section 107 or section 108 of the said Act is made.

6. The rectification is required to be made only in respect of demand of such input tax credit which has been alleged to be wrongly availed in contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of the said section 16.

7. Where such rectification adversely affects the said person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

Annexure A

Proforma to be uploaded by the registered person along with the application for rectification of order under special procedure for rectification of order notified under section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017)

1. Basic Details:

(a) GSTIN:
(b) Legal Name:
(c) Trade Name, if any:
(d) Order in respect of which rectification application has been filed:
(1) Order Reference Number:
(2) Order Date:

2. Details of demand confirmed in the said order:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

3. Out of the amount mentioned in the Table in serial number 2 above:

(a) the details of the demand confirmed in the said order, of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section 16, which is now eligible as per sub-section (5) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (the said Act):

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	Total							

and/or

(b) the details of the demand confirmed in the said order of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section16, other than that mentioned in (a) above, which is now eligible as per sub-section (6) of section 16 of the said Act:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

4	**Declaration:** **1.** I undertake that, no appeal under section 107 or section 112 of the said Act is pending against the order against which this rectification application is filed. **2.** I declare that all information provided by me is accurate and truthful. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.

5	**Verification:** I_____ (name of the authorised signatory), hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render my application void.

Signature of authorised signatory
Name/Designation

Email address
Mobile No.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.03 15:57:36 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268192
SG-DL-E-03122025-268192

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 356
No. 369] DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947 [N. C. T. D. No. 356

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 21/2024-राज्य कर

फा.सं. 3(35)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1153.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (उक्त अधिनियम) की धारा 128ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद् द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट संबंधित तिथि को उस तिथि के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना, या विवरण, या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, जैसा भी मामला हो, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थातः–

तालिका

क्र0सं0	पंजीकृत व्यक्ति का वर्ग	वह तिथि जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या विवरण या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, जैसा भी मामला हो, उक्त धारा के अन्तर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।
(1)	(2)	(3)
1	पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या विवरण या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025
2	पंजीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है, तथा अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, धारा 75 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के निर्धारण हेतु आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यह मानते हुए कि नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किया गया था।	उक्त अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत कर का पुर्ननिर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से छः माह पूरे होने पर समाप्त होने वाली तिथि।

2. यह अधिसूचना 01 नवम्बर, 2024 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2025

No. 21/2024-State Tax

F.No. 3(35)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1153.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 128A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the respective date specified in Column (3) of the Table below, as the date upto which payment for the tax payable as per the notice, or statement, or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the said section, as the case may be, can be made by the class of registered person specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:–

TABLE

Sl. No.	Class of registered person	Date upto which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, as the case may be, can be made for waiver of interest, or penalty, or both, under the said section.
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons to whom a notice or statement or order, referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, has been issued.	31.03.2025
2	Registered persons to whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, in respect of the period referred to in sub-section (1) of section 128A of the said Act, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority, or Appellate Tribunal, or a court, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, for determination of the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of the said Act.	Date ending on completion of six months from the date of issuance of the order by the proper officer redetermining tax under section 73 of the said Act.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of November, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.03 15:58:28 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268191
SG-DL-E-03122025-268191

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 354
No. 367] DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947 [N. C. T. D. No. 354

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 16/2025-राज्य कर

फा0सं0 3(38)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1156.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2025 (2025 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) दिनांक 19.08.2025 की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिस तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) तथा (iii), धारा 3 से 5 और धारा 7 से 15 के प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2025

No. 16/2025-State Tax

F.No. 3 (38)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1156.— In exercise of the powers conferred by sub section (ii) of Section 1 of the Delhi Goods and Services Act, 2025 (Delhi Act No. 6 of 2025) dated 19.08.2025, the Lt. Governor of NCT of Delhi hereby appoints the 1st day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 2, sections 3 to 5 and sections 7 to 15 of the said Act, shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.03 16:00:41 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268182
SG-DL-E-03122025-268182

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 353
No. 366] DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947 [N. C. T. D. No. 353

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 16/2024-राज्य कर

फा0सं0 3(33)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1151.— दिनांक 19–08–2025 की राजपत्र अधिसूचना फा. संख्या 14(101)/एलए/2025/संयु0स0वि0/631–640 द्वारा जारी, दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित को नियत करते हैं, –

(क) 01 अक्टूबर, 2024 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान को लागू होंगे;

(ख) 01 अप्रैल, 2025 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 9 के प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2025

No. 16/2024-State Tax

F.No. 3 (33)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1151.— In exercise of the powers conferred by of sub-section (ii) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 issued vide Gazette Notification F. No 14(101)/LA/2025/jtsecylaw/631-640 dated 19-08-2025, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints, -

(a) the 1st day of October, 2024, as the date on which the provisions of sections 35 of the said Act shall come into force;

(b) the 1st day of April, 2025, as the date on which the provisions of sections 2 and 9 of the said Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.03 12:02:33 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268181
SG-DL-E-03122025-268181

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 352
No. 365] DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947 [N. C. T. D. No. 352

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 14/2025-राज्य कर

फा0सं0 3(37)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 1155.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 54 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:–

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 10ख के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण वाले वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है:

क्र0 सं0	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू तथा निर्मित तंबाकू के पदार्थ
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरणः

(i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "शीर्षक", "उप-शीर्षक" और "अध्याय" का अर्थ क्रमशः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, शीर्षक, उप-शीर्षक तथा अध्याय से होगा;

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की व्याख्यात्मक नियम, जिसमें प्रथम अनुसूची की धारा और अध्याय टिप्पणियाँ तथा सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ शामिल हैं, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2025

No. 14/2025-State Tax

F.No. 3 (37)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1155.— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely, -

(a) Any person, who has not undergone Aadhaar authentication under rule 10B of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017;

(b) Any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below:

Table

S. No.	**Chapter/ Heading/ Sub-heading/ Tariff item**	**Description of Goods**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	0802 80	Areca nuts
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
4.	3301	Essential oils

Explanation:

(i) In this notification, "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.03 12:03:37 +05'30'